फैक्स
दूरभाष 2720712
फैक्स 2720665

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक–एक–दो–एपीओ–कार्यमुक्त–2009/ 34 /09 दिनांक 5 जनवरी, 2010

संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
जनपद–सीतापुर/कानपुर देहात/सहारनपुर/एटा।

विषय उ0प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा–2006 के आधार पर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर चयन के फलस्वरूप कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में।

कृपया शासन के पत्र संख्या 3589/छ–पु0–9–09–31(107)/99 दिनांक–4.1.2010 द्वारा निर्देशित किया गया है कि "उ0प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा–2006 के आधार पर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर चयन के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को अभियोजन विभाग की सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पद नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान
1	श्री सुशील कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी	सीतापुर
2	सुश्री श्रद्धा त्रिपाठी, सहायक अभियोजन अधिकारी	कानपुर देहात
3	श्री भूले राम, सहायक अभियोजन अधिकारी	सहारनपुर
4	श्री भूपेन्द्र प्रताप, सहायक अभियोजन अधिकारी	सहारनपुर
5	श्री सुनील कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी	एटा

उक्त अधिकारियों का अभियोजन विभाग की सेवा में 03 वर्ष तक अथवा नवचयनित पद पर स्थायी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, धारणाधिकार (लियन) सुरक्षित रहेगा।"

2 अतः तदनुसार कार्यवाही करें तथा कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपरोक्त अधिकारियों के पक्ष में कोई देयक/प्रकरण लंबित न हो एवं कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

5.1.10
(मुकुन्द जैन)
अपर निदेशक (विधि),
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1 अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन को शासन के पत्रांक 3589/छ.पु0–9–09–31(107)/99 दिनांक 4.1.2010 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2 परिक्षेत्रीय अपर निदेशक अभियोजन, लखनऊ/कानपुर/मेरठ/आगरा परिक्षेत्र।

(मुकुन्द जैन)
अपर निदेशक (विधि)
उ0प्र0, लखनऊ।